

प्रपत्र -IX

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं

दिनांक

वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ----- स्थायी पता ----- ग्राम/स्ट्रीट ----- डाकघर ----- जिला ----- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ----- पिन कोड ----- जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, का फोटोग्राफ नीचे अनुप्रमाणित किया गया है, वित्तिय वर्ष तब से उनका/ उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय* रूपये 08 लाख (रूपये आठ लाख केवल) से कम है, उनका/उनकी परिवार** के पास नीचे दी गई में से कोई भी सम्पत्ति*** अपनी नहीं है।

- I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि
- II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट
- III. अधिसूचित निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- IV. अधिसूचित निगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ----- जाति के है, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल का
पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर
नाम-----
पदनाम-----

* नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है।

*** नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।